राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांकः– एफ13/1/3/ वे.पो./डीईएस/2014/392 दिनांकः- 13/8/2020

परिपत्र

जन्म–मृत्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 एवं तत्सम्बन्धी राज्य नियम–2000 के नियम 10 के प्रावधान के अन्तर्गत बालक/बालिका के जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज कराये जाने के प्रावधान है। वर्तमान व्यवस्था में नाम जुडवाने के लिए माता–पिता अथवा संरक्षक को स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) के पास जाना पडता है। आमजन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए वेबपोर्टल पहचान एवं ई–मित्र सेवाओं के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे कें जन्म होने के पश्चात् एक वर्ष तक निशुल्क नाम जोडने की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वेबपोर्टल पहचान एवं ई–मित्र सेवाओं के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र में ऑनलाईन नाम जुडवाने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

वेबपोर्टल पहचान के माध्यम से प्रक्रियाः–

1. आमजन द्वारा पहचान पोर्टल पर 'बच्चे का नाम जोड़े' विकल्प पर अपना पंजीकरण, मोबाईल नम्बर अथवा पंजीकरण संख्या से खोजा जायेगा।
2. पंजीकरण में नाम खाली होने एवं जन्म दिनांक में एक वर्ष से कम का अंतराल होने की स्थिति में आवेदक को पंजीकरण के समय दिया गया आधार संख्या दर्ज करना होगा जिससे आवेदक की पहचान सुनिश्चित को सके।
3. आधार सत्यापन के पश्चात् आवेदक को बच्चे का नाम (जिसे पंजीकरण में जुडवाना है) दर्ज करना होगा।
4. आवेदक के पास आवेदन पूर्ण होने का SMS भेजा जायेगा।
5. नाम जोडने के आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रार की Login पर दिखाया जायेगा जहां से रजिस्ट्रार बच्चे के नाम जोडने के आवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकता है। जिसका SMS आवेदक को जायेगा।
6. अनुमोदित करने के पश्चात, नाम सहित पंजीकरण को रजिस्ट्रार द्वारा ई–साइन कर दिया जायेगा।
7. नाम सहित ई–साइन प्रमाणपत्र को आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
8. आमजन को नाम जोडने के आवेदन की स्थिति भी पोर्टल पर दिखेगीं।

ई–मित्र के माध्यम से प्रक्रिया :–

1. ई–मित्र केन्द्र के माध्यम से नाम वाला जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
2. आवेदक को आवेदन प्रपत्र में चाही गई सम्पूर्ण सूचनाऐं अनिवार्य रूप से भरनी होगी।
3. आवेदक को अपनी पहचान एव पते सम्बन्धी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति आवश्यक रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी। पहचान एवं पते के लिए निम्न में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है:–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, कार्यालय पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज, जिनसे फोटो/पते की पहचान हो सके।
4. आवेदक को ई–मित्र केन्द्र पर नाम जुडवाने एवं नाम वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए के लिए 25/–रूपये का शुल्क अदा करना होगा।
5. ई–मित्र संचालक को आवेदक द्वारा आवेदन पश्चात् स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज करने के पश्चात् 7 कार्य दिवस में बच्चे के नाम वाला प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

उक्त आदेशों की पालना तुरन्त प्रभाव से की जावे।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ13 / 1 / 3 / वे.पो. / डीईएस / 2014 / 392 दिनांकः – 13/8/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी,शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव,सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग,जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर समस्त।
4. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम समस्त।
5. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, योजना भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लिमिटेड, राजस्थान,जयपुर।
9. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप / सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
10. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)